Statement

No. of Cinema Houses in India (Statewise as on 30th June, 1998)

Sr. No.	Name of the State	Total No. of Cinema houses
1.	Andaman & Nicobar	02
2.	Andhra Pradesh	2812
3.	Arunachal Pradesh	02
4.	Assam	145
5.	Bihar	338
6.	Chandigarh	07
7.	Dadra Nagar Haveli	02
8.	Delhi	70
9.	Gujarat	442
10.	Goa/Daman/Diu	21
11.	Haryana	103
12.	Himachal Pradesh	13
13.	Jammu & Kashmir	16
14.	Karnataka	1242
15.	Kerala	1330
16.	Madhya Pradesh	475
17.	Maharashtra	1092
18.	Manipur	11
19.	Meghalaya	11
20.	Mizoram	03
21.	Nagaland	06
22.	Orissa	150
23.	Pondicherry	44
24.	Punjab	142
25.	Rajasthan	280
26.	Sikkim	02
27.	Tamil Nadu	2444
28.	Tripura	07
29.	Uttar Pradesh	1040
30.	West Bengal	333
	TOTAL:	12585

Cultural Pollution' in Indian Traditional Music

3807. SHRI K.M. SAIFULLAH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether "Cultural Pollution" is going in Indian traditional music; and

(b) if so, the steps proposed to counter such conspiracy to weaken the roots of Indian culture?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) No, Sir. Prasar Bharati maintains the sanctity and purity of traditional and classical music (Hindustani/Camatic) and has not allowed these to be polluted.

(b) Does not arise. *nww*

गढ़वाली/कुमाऊंनी भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण

3808. **श्री मनोहर कान्त ध्यानीः** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ दूरदर्शन केन्द्र में गढ़वाली तथा कुमाऊनी भाषाओं में भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं;

(ख) क्या गढ़वाली तथा कुमाऊंनी (क्षेत्रीय बोलियां) बाषाओं में कार्यक्रम बनाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा इन भाषाओं के कार्यक्रमों का चयन किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम कितनी बार प्रसारित किए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के और कार्यक्रम प्रसारित किए जाने हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 23 (तेईस) श्रीमन्

(घ) दूरदर्शन पर कार्यक्रमों के प्रसारण से संबंधित मामले पूर्ण रूप से प्रसार भारती के कार्यक्षेत्र में आते हैं और इस बारे में सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता है।

आकाशवाणी उदघोषक संघ द्वारा दिया गया ज्ञाग्रन

3809. **श्री रामगोपाल यादव**:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी उदघोषक संघ ने सरकार/मंत्री जी को कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में उनके द्वारा क्या मांगें रखी गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा मांगों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है लिए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी के उदघोष्क परिसंघ की मुख्य मागों आकाशवाणी के संगठन संवर्ग में उदघोषक संवर्ग का विलय करने, ट्रांसमिशन निष्पादकों एवं कार्यक्रम निष्पादकों को दिए जा रहे उच्चतर वेतनमान की स्थिति में उनसे वेतन समानता और उदघोषकों की कार्यक्रम निष्पादकों की श्रेणी में पदोन्नति संबंधित हैं।

(ग) एक स्वायत्तशासी निकाय के रूप में प्रसारण भारती की स्थापना के बाद इस मामले में प्रथमतः यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो प्रसार भारती बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।

अतिरिक्त न्यायिक खंडपीठों की स्थापना

3810. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी**:

श्री अनन्तराय देवशंकर देवे:

क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अतिरिकग्त न्यायिक खंडपीठों की स्थापना हेतु अब तक मंत्रालय को अपने प्रस्ताव किन-किन राज्य सरकारों ने भेजे हैं तथा क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर में भी एक खंडपीठ स्थापित किये जाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इन प्रसतावों पर अब तक किये गये आध्ययनों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने किन-किन राज्य सरकारों की मांग को स्वीकार किया है, तथा अतिरिक्त खंडपीठ स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है; और

(घ) सरकार इस संबंध में कब तक अध्यायदेश जारी करने का विचार रखती है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री एम.थम्बी दुरई): (क) से (ग) इलाहाबाद, मध्या प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के लिए मांग और उच्च न्यायालयों की न्यायापीठों से संबंधित साधारण प्रश्न पर जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट 15-10-1986 को संसद् पुस्तकालय में रखी गई थी और राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर, क्रमशः 20-4-1987 और 21-4-1987 को रखी गई थी जिसे देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बाबत रीपोर्ट बिलासपुर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के लिए भी है।

इलाहबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायापीठों स्थापना के लिए आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशों अपने-अपने उच्च न्यायालयों के मुख्य व्यायमूर्तियों के परामर्श से, विचार और टीका-टिप्पणियों के लिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों को निर्देशित की गई थी। उच्च न्यायलयों की प्रधान पीठ से दूर, न्यायपीठों की स्थापना के लिए आयोग द्वारा सिफारिश किए गए व्यापक सिद्धान्तों और मानदंडों को जानकारी और मार्गदर्शन के लिए सभी राज्य सरकारों और उच्च न्यायलयों को भेज दिया गया था।

तथापि, उच्च न्यायलयों की स्थायी न्यायपूठों की स्थापना के लिए, संबंधित उच्च न्यायालयों के मुक्य न्यायमूर्तियों के परामर्श से, राज्य सरकारों से कोई विनिर्दिष्ट, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए, मामले में आगे कार्रवाई कर पाना केन्द्रीय सरकार के लिए संभव नहीं है।

पशिचमी बंगाल सरकार, ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट न्यायपीठ की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Additional Officcs of Registrar of Companies in Maharashtra

3811. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have taken any fmal decision for opening additional offices of Registrar of Companies in Maharashtra as the State only one office' of Registrar which cannot cope with the work; and

(b) If so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) Yes, Sir.